रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 18, 1987/माघ 29, 1908
No. 33] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 18, 1987/MAGHA 29, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 155 आई टी सी (पी एन)/85--88

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1987

विषय : --अप्रैल 1985--मार्च 1988 के लिए आयात-निर्यात नीति।

फा.सं. 12/2/87--ई पी सैल :--वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 1-आईटीसी (पीएन)/85-88 दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल 1985-मार्च 1988 के लिए यथा-संशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :--

क्र. सं.	आयात-निर्यात नीति 1985-88 (खण्ड-1) की पृष्ठ सं.	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1.	327	परिशिष्ट-22 का अनुबंध-1	पैरा 13 के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :-- "निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 के उपबंधों के अनुसार निर्यात की अनुमति दी जाएगी"
2.	332	परिशिष्ट-22 का अनुबंध-3	वर्तमान पैरे सं. 11 को हटा दिया जाएगा और 12, 13 तथा 14 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-- "12. स्वर्ण की बुकिंग के लिए पात्र निर्यातक को बैंक द्वारा

1	2	3	4
			निर्धारित फार्म की तीन प्रतियों में भारतीय स्टेट बैंक की मनोनीत शाखा को आवेदन करना चाहिए। आवेदन पत्र उपर्युक्त पैरा-7 में निर्दिष्ट निर्यात आदेश की प्रमाणित प्रति से समर्थित होना चाहिए तथा निर्यातक की वचनबद्धता कि वह इस योजना के अन्तर्गत यथा-निर्धारित न्यूनतम मूल्य संयोजन की शर्तों का अनुपालन करेगा के साथ भेजा जाना चाहिए जहां पर संविदा मूल्य लागत बीमा भाड़े पर आधारित हो तो आवेदक निर्यात के लिए आवेदन पत्र में जहाज पर निःशुल्क मूल्य के अनुमानित मूल्य को घोषित करेगा। सोने की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनों के लिए केवल जहाज पर निःशुल्क मूल्य को ही विचार के लिए हिसाब में लिया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक निर्यातक के नाम में अपेक्षित सोने की मात्रा की खरीद करेगा। इस प्रयोजन के लिए आवेदन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित खरीदे जाने वाले सोने के माडल मूल्य के 20 प्रतिशत के मूल्य के बराबर की धनराशि को धरोहर के रूप में जमा करेगा। धरोहर के रूप में इस धनराशि को निर्यातक को लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए रिलीज आदेश के मद्दे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सोने की वास्तविक बिक्री के समय समंजित किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक अगले दो व्यापारिक दिनों के अन्तर्गत सोना खरीदेगा और इसके पश्चात् निर्यातक को खरीदे गए सोने की मात्रा और डालर में उसके मूल्य (इसमें सोने की क्रय तिथि को भारतीय स्टेट बैंक की प्रचलित टी टी विक्रय दर को अमरीकी डालर की दर के समतुल्य रुपए सहित) देते हुए निर्यातक को प्रमाणपत्र जारी करेगा। भारतीय स्टेट बैंक इसके साथ-साथ इस प्रमाणपत्र की प्रति के साथ आवेदन पत्र की दूसरी और तीसरी प्रतियां क्रमशः सम्बद्ध लाइसेंसिंग प्राधिकारी और सीमा शुल्क सदन को भेजेगा। निर्यातक को भारतीय स्टेट बैंक के साथ सोने की बुकिंग की तारीख से 30 दिन की अवधि के अन्दर पोतलदान करना आवश्यक होगा। इस अवधि में सोने की बुकिंग के लिए आवेदन पत्र की तारीख शामिल नहीं होगी। 13. उपर्युक्त पैरा 12 में कुछ भी उल्लिखित होने पर भी निर्यात करने में असफल होने पर निर्यातक के विरुद्ध देय सीमा-शुल्क अदायगी के अतिरिक्त आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। 14. इस योजना के तहत स्वर्ण आभूषणों का निर्यात सीमा शुल्क द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त पैरा-9 में यथाउल्लिखित के अनुसार अनुमत किया जाएगा। निर्यातक पोतलदान बिल तैयार करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात की जाने वाली प्रत्येक मद में उपयोग की गई सोने की भार एवं शुद्धता और निर्यात की जाने वाली मदों के जहाज पर निःशुल्क मूल्य के बारे में निर्यातक की घोषणा होनी चाहिए। पोतलदान बिल की एक अतिरिक्त प्रति भी भेजी जानी चाहिए (यदि निर्यात की जाने वाली सभी अथवा कुछ मदों के संबंध में प्रयुक्त सोने की शुद्धता एक समान है तो निर्यातक द्वारा उनके मदवार विस्तृत ब्यौरे देने के बजाए उसी शुद्धता वाली ऐसी मदों के कुल मूल्य तथा सोने के कुल भार को दिया जाए) जड़ित मदों के मामले में पोतलदान बिल में उपर्युक्त के अनुसार सोने के तत्व के अतिरिक्त उनके विनिर्माण में प्रयुक्त मणियों/रत्नों/मोतियों तथा इसके साथ-साथ किसी अन्य बहुमूल्य धातु के प्रयुक्त होने का विवरण/भार/मूल्य को दिखाया जाना चाहिए।
3.	332	पैरा-17 परिशिष्ट- 22 के लिए अनुबंध-3	वाक्य प्रारम्भ होने वाले शब्दों "वे लाइसेंस प्राधिकारी जिन्होंने पोत परिवहन बिल पृष्ठांकित किया है" को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :— "उस स्थान पर स्थापित लाइसेंस प्राधिकारी जिस स्थान के सीमा शुल्क कार्यालय के माध्यम से निर्यात किया गया है"।

उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं।

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 155-ITC(PN)/85-88

New Delhi, the 18th February, 1987

Subject: Import & Export Policy for April, 1985—March, 1986

F.No. 12/2/87-EPC: Attention is invited to the Import & Export Policy for April, 1985—March 1988, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/85—88 dated the 12th April, 1985 as amended.

2. The following amendments shall be made in the policy at appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page no. of Import and Export Policy 1985-88 (vol. 1)	Reference	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	327	Annexure-I to Appendix-22	The following shall be added at the end of the paragraph 13:— "The export will be allowed as per provisions of Exports (Control) Order, 1977."
2.	332	Annexure-III to Appendix-22	The existing paragraph No. 11 shall be deleted and paragraphs No. 12, 13 & 14 shall be substituted by the following:—
			"12. The eligible exporter should apply in triplicate to the designated branch of the State Bank of India for the booking of gold, in the form prescribed by the Bank. The application should be supported by a certified copy of the export order referred, to in para 7 above, and an undertaking by the exporter that he would abide by the condition of minimum value addition as prescribed under the scheme. Where the price contracted for is on c.i.f. basis, the applicant shall also declare the estimated f.o.b. value thereof in the application for the export. For the purpose of replenishment of gold, only the f.o.b. value will be taken into consideration.
			The State Bank of India will purchase the required quantity of gold on behalf of the exporter. For this purpose, the applicant will deposit, as earnest money, an amount equivalent to 20% of notional price of gold, fixed by the State Bank of India sought to be purchased. This amount by way of earnest money will be adjusted at the time of actual sale of gold by the State Bank of India against the Release Order issued by the Licensing Authority to the exporter.
			The State Bank of India will purchase gold within the next two business days and issue thereafter a certificate to the exporter, indicating the quantity of gold purchased and the price in dollars (including its rupee equivalent at SBI's ruling TT selling rate of US $ on the date of purchase of gold) at which purchased.
			The SBI shall simultaneously forward the duplicate and triplicate copies of the application alongwith a copy of the certificate to the concerned licensing authority and Customs House respectively.

1	2	3	4
			The exporter will have to effect the shipment within a period of 30 days from the date of application for booking of gold with the SBI. This period shall exclude the date of application for the booking of gold.
			13. Notwithstanding anything mentioned in para 12 above, failure to effect exports will entail action against the exporter under the Imports (Control) Order, 1955 in addition to the recovery of Customs duty payable.
			14. Export of gold jewellery under this scheme shall be allowed by Customs as mentioned in para 9 above as per the provisions of the Exports (Control) Order, 1977.
			The exporter shall prepare a shipping bill which should, inter-alia, contain the exporter's declaration about the weight and the purity of gold used in each item to be exported, and the f.o.b. value of the items to be exported. An extra copy of the Shipping Bill should also be furnished.
			(If the purity of gold used is the same in respect of all or some of the items to be exported, the exporter may give the total weight of gold and the total value of such items as are of the same purity instead of giving their details, item-wise).
			In the case of studded items, the shipping bill should show, in addition to the gold content as above, the description/weight/value of the stones/gems/pearls used in their manufacture as well as the weight/value of any other precious metal used for alloying the gold.
3.	332	Para 17 Annexure-III Appendix-22	In the opening sentence the words "the same licensing authority as that which endorsed the Shipping Bill" shall be substituted by the following:—
			"The licensing authority located at the place where the Customs House through which export has been effected".

3. The above amendments have been made in Public interest

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports,

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987